न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34 / 2020

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज हीरालाल आयु 60 वर्ष
2. रमेश आत्मज हीरालाल आयु 54 वर्ष
3. कंवरी पत्नी बाबूलाल आयु 55 वर्ष जाति माली निवासीगण बरखेडा तहसील कनवास जिला कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार आत्मज परशुराम
2. धीरज अबिद आत्मज परशुराम
3. परशुराम आत्मज मदनलाल जाति खटीक निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश खण्डेलवाल (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.11.2020 न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 12 / 2020 बउनवान देवेन्द्र बनाम बाबूलाल

निर्णय दिनांक :10.10.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास मे देवेन्द्र कुमार, धीरज अबिद आत्मज परशुराम व परशुराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासीगण कनवास जिला कोटा ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा निर्णय दिनांक 19.11.2020 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी बाबूलाल, रमेशचन्द्र कालूलाल वर्गे0 निवासी कनवास को बेदखली के आदेश दिये गये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 10.12.2020 को पेश की गई। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट, की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि अपीलान्टान को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटिपुर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.08.2004 में अपीलाण्ट कम 1 व 2 के पिता हीरालाल व 3 के ससुर हीरालाल के नाम विवादग्रस्त आराजी पर आवंटन के बाद भूमि पर कब्जा हीरालाल का है यह तथ्य भी स्पष्ट होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट की माता के द्वारा कय की गयी आराजी पूर्व में मांगीलाल वल्द नारायण बलाई के नाम गैर खातेदारान के बतायी गयी है एवं रेस्पोडेन्ट 1 व 2 की माता व 3 के पति के द्वारा उक्त आराजी दिनांक 12.02.2015–18.02.2015 खरीद करना बताया है जबकि पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पूर्व से हीं अपीलाण्ट नम्बर 1 व 2 के पिता हीरालाल के नाम कब्जा चला आ रहा है। जबकि उक्त भूमि ख0न0 9 की 40 बीघा1 बिस्वा आराजी में मृदा भूमि बाद पहाडी से स्पष्ट है वर्ष 1991–95 की गिरदावरी में 5–5 बीघा जमीन प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा गेहू की फसल की गयी थी इसी प्रकार वर्ष 1995–96 भी सोयाबीन किया गया था एवं नियमित बिना उपजाउ भूमि को 50 वर्ष पूर्व अपीलाण्ट 1 व2 के पिता व 3 के ससुर द्वारा उक्त आराजी बंजड भूमि को काश्त योग्य बनाया था, उक्त दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने के बाद भी बिना कब्जे के वर्ष 2015 में रेस्पोडेन्ट की मां व पत्नी के नाम खरीदने में भूल की मौके पर कब्जा नहीं होते हुये भी बिना कब्जे के उक्त आराजी कय की गई जो पूर्णतया त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात पर 60 वर्ष से भी अधिक समय समय निरन्तर कब्जा अपीलाण्ट के पूर्व उनके पिता व ससुर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मानते हुये भी एवं 1 बीघा आराजी मे गुलाब की बाडी बनी हुयी है एवं स्वर्गीय हीरालाल द्वारा उक्त आवंटित आराजी 7 बीघा के लगभग यानिकी कुल 17 बीघा पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्टगणों के द्वारा कब्जे व काश्त के सम्बन्ध में साक्ष्य को साबित होते हुये भी रेस्पोडेन्ट का वर्तमान में एवं पूर्व में कभी कब्जा नहीं होते हुये भी अन्दर मियाद 12 वर्ष बेदखल करने हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र नहीं किया। क्योकि पूर्व में उक्त आराजीयात मांगीलाल बलाई द्वारा कभी भी बेदखली का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पोडेन्ट 1व 2 की माता व 3 की पत्नी के द्वारा जो वर्ष 2015 में कय की गयी एवं रजिस्ट्री में जो कब्जा दिखाया गया है वह पूर्ण नितान्त एवं असत्य साबित हो जाता है क्योकि संरपंच के द्वारा दिनांक 25.08.2024 को एवं हल्का पटवारी मण्डल दाता की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2004 से भी कब्जा अपीलान्टगणों का प्रमाणित मानते हुये भी उक्त आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है। इस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र मियाद बेरून यानिकी 12 वर्ष से पूर्व का कब्जा साबित होते हुये भी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। अपीलान्टगणो ने साक्ष्य से कब्जा साबित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कब्जा प्राप्त करने के बारे में जो कि पुष्टि नहीं करवायी गयी अपीलाण्टगणो का कब्जा काश्त कब से है इसको भी स्पष्ट नहीं करवाया गया इस तरह अपीलाण्टगणो के द्वारा अपने साक्ष्य से उक्त आराजी पर 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त होना प्रमाणित किया है वादग्रस्त आराजी पर अपने पिता के समय से ही कब्जा एवं पत्थरो का परकोटा होना साबित किया है इस तरह अपीलाण्टगणो का पुराना काश्त 12 वर्ष से भी अधिक समय से काश्त साबित होने के कारण मियाद बैरून अवधि बाधित होने से उक्त आदेश खारिज होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि एस्टोपल के सिद्धान्त के अनुसार रेस्पोडेन्ट स्वीकार किये गये हिस्से के विपरीत कथन से एस्टोप्ड है उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 कालू उर्फ शिवलाल पुत्र बाबूलाल एवं अप्रार्थी संख्या 4 लक्ष्मण पुत्र बाबूलाल के नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं होते हुये भी बिना तामील के एक तरफ़ा कार्यवाही करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध भी बिना देखें, बिना गोर किये निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। मृतका द्वारा उक्त आराजीयात वर्ष 2015 में बिना कब्जे के खरीदना एवं पूर्व में कब्जा न होते हुये भी अवैधानिक तरीके से कय करना एवं पूर्व खातेदारान द्वारा 12 वर्ष पूर्व भी कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होते हुये भी उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायायल ने कानूनी त्रुटि की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है कि ग्राम बरखेडा ख0न0 19 रकबा 0.81 है0 ख0न0 29 रकबा 0.08 है0 ख0न0 30 रकबा 0.73 है कुल किता 3 रकबा 1.62 है0 भूमि पर प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न है। प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने अवैधानिक तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर रखा। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी दिनांक 12.02.2015 व 18.02.2015 को प्रार्थीगणों ने विक्रेता से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अनुसूचित जनजाति के खातेदारो की भूमि पर संवर्ण जाति के लोगो को किसी भी प्रकार का कानूनी हक प्राप्त नहीं होता है। तथा अप्रार्थी को प्रार्थी के खाते की आराजी या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे केवल मेरा टाइटल साबित करना है। मुझे दखल दे दिया गया। मांगीलाल को आवंटन के तहत उसे चेलेन्ज नहीं किया,खातेदारी मिली उसको भी चेलेन्ज नहीं किया। अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी कनवास में जो दावा पेश किया था वह दिनांक 18.01.2023 को पेश किया था और अपील 2020 से चल रही है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त 2018 1982 पेज न0 312 आर0आर0 जे (11) 2004 पेज न0 16 आर0आर0टी0 2018(1) पेज 175 आर0आर0 1987 पेज न0 466 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुऐ अपील अपीलाण्ट खारिज किऐ जाने हेतु निवेदन किया।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि कि ग्राम बरखेडा ख0न0 19 रकबा 0.81 है0 ख0न0 29 रकबा 0.08 है0 ख0न0 30 रकबा 0.73 है कुल किता 3 रकबा 1.62 है0 भूमि पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड खातेदार है। जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में ज्योति अबीद ,देवेन्द्र कुमार, धीरज अबीद नीतू पिसरान परशुराम परशुराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडन्ट की माताजी सुगनाबाई ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 12.02.2015 व 18.02.2015 को विक्रेता संजूबाई मेघवाल पुत्री घनश्याम व राकेश कुमार व पिकीबाई पिसरान मांगीलाल से खरीदी थी। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण की जाति खटीक है जो अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में आती है। तहसीलदार कनवास द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार कनवास द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 19.11.2020 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा